

कृषि विकास की सीढियाँ - एक अध्ययन



एम.जी. पाण्डेय

जे.डी.पी.एस. महा., दर्यापूर, जि. अमरावती (महाराष्ट्र)

Authors Short Profile

Mangalavati G. Pandey is working as an Assitstant Professor at Department of Commerce in J.D.P.S.Mv. Darayapur, Dist: Amravati (M.S.). She has completed B.A., B.Ed., M.A.(ECO), M.Com., M.Phil., D.B.M., Ph.D.(Ongoing). She has professional experience of 3 years and 4 months and research experience of 2 years. She has done one minor research project.



सारांश

कृषि का विकास म-से-म १०,००० वर्ष पूर्व हो चुका था। तब से अब तक बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके हैं। कृषि, भूमि को खोदकर अथवा जोतकर और बीज बोकर व्यवस्थित रूप से अनाज उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। मनुष्य ने पहले - पहल कब कहाँ और कैसे खेती करना आरंभ किया, इसका उत्तर सहज नहीं है। सभी देशों के इतिहास में खेती के विषय में कुछ-न-कुछ कहा गया है। कुछ भूमि अब भी ऐसी जहाँ पर खेती नहीं होती। अफ्रीका और अरब के रेगिस्तान, तिब्बत और मंगोलिया के ऊँचे पठार तथा मध्य ऑस्ट्रेलिया में आज भी

खेती नहीं होती। कांगो के बौने और अंदमान के बनवासी खेती नहीं करते।

प्रस्तावना

आदिम अवस्था में मनुष्य जंगली जानवरों का शिकार कर अपना उदर पूर्ति करता था। पश्चात उसने कंद-मूल, फल और स्वतः उगे अन्न का प्रयोग आरंभ किया और इसी अवस्था में किसी समय खेती द्वारा अन्न उत्पादन करने का अविष्कार उन्होंने किया होना चाहिए। फ्रांस में जो आदिमकालिन गुफाएँ प्रकाश में आई हैं उनके उत्खनन और अध्ययन से ज्ञात होता है कि पूर्वपाषाण युग में मनुष्य खेती से परिचित हो गया था। बैलों को हल में जोतने का प्रमाण मिश्र की पुरातन सभ्यतासे मिलाता है। अमेरीका में केवल खुरपी और मिट्टी खोदनेवाली लकड़ी का पता चलता है।

भारत में पाषाण युग में कृषि का विकास कितना और किस प्रकार हुआ था। इसकी सम्मति और जानकारी नहीं है। किंतु सिंधु नदी के काँटे के पुरावशेषों के उत्खनन से इस बात के प्रचुर प्रमाण मिले हैं कि आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व कृषि अत्युन्नत अवस्था में थी और लोग राजस्व अनाज के रूप में चुकाते थे, ऐसा अनुमान पुरातत्त्वविद मोहन जोदड़ों में मिले बड़े-बड़े कोठरों के आधार पर करते हैं। वहाँ से उत्खनन में मिले गेहूँ और जौ के नमूनों से इस प्रदेश में उन दिनों इनके बोए जाने का प्रमाण मिलाता है। वहाँ से मिले गेहूँ के दाने ट्रिटिकम कंपैक्टम (*Triticum compactum*) अथवा ट्रिटिकम स्फ़ैरौकोकम (*Triticum sphaerococcum*) जाति के हैं। इन दोनों ही जाति के गेहूँ की खेती आज भी पंजाब में होती है। यहाँ ये मिला जौ हाडियम बलगेयर (*Hardeum vulgare*) जाति का है। उसी जाति के जौ मिश्र के पिरामिडों में भी मिलते हैं। कपास जिसके लिए सिंध की आज भी ख्याति है। उन दिनों भी प्रचुर मात्रा में पैदा होती थी।

भारत में नौ हजार वर्ष ईसापूर्व के भी पहले से कृषि की जा रही है। यहाँ बहुत पहले से ही वृक्ष लगाना, फसले उगाना एवं पशुओं को पालतू बनाना आरंभ हो गया था। भारत में पाषाण युग में कृषि का विकास कितना और किस प्रकार हुआ था इसकी संप्रति कोई जानकारी नहीं है। किंतु सिंधु नदी के काँटे के पुरावशेषों के उत्खनन के इस बात के प्रचुर प्रमाण मिले हैं कि आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व कृषि अत्युन्नत अवस्था में थी। भारत के निवासी आर्य कृषिकार्य से पूर्णतया परिचित थे। यह वैदिक साहित्य से स्पष्ट परिलक्षित है। ऋग्वेद और अथर्ववेद से कृषि संबंधी अनेक ऋचाएँ हैं जिसमें कृषि संबंधी उपकरणों का उल्लेख तथा कृषि विधा का परिचय है। ऋग्वेद में क्षेत्रपति, सीता और शुनासीर फोलक्ष्यकर रची गई एक ऋचा (४.५७.८) है जिससे वैदिक आर्यों के कृषि विषय में ज्ञान का बोध होता है।

एक अन्य ऋचा से प्रकट होता है कि उस समय जौ हल से जोताई करके उपजाया जाता था। अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि जौ, धान, दाल और तिल तत्कालीन मुख्य शस्त्र थे। अथर्ववेद में खाद का भी संकेत मिलता है जिससे प्रकट है कि अन्न पैदा करने के लिए लोग खाद का भी उपयोग करते थे।

इहो एवं वतौत सूत्रों में कृषि से संबंधित धार्मिक कृत्यों का विस्तार के साथ उल्लेख हुआ है। उसमें वर्षा के निमित्त विधिविधान की तो चर्चा है साथ ही इस बात का भी उल्लेख है कि चूहों और पक्षियों से खेत में लगे अन्न की रक्षा कैसे की जाए। पाणिनि की अष्टाध्यायी में कृषि संबंधी अनेक शब्दों की चर्चा है जिससे तत्कालीन कृषि व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है।

भारत में ऋग्वेदिक से ही कृषि पारिवारिक उद्योग रहा है और बहुत कुछ आज भी उसका रूप है। लोकोक्तिों में कृषि संबंधी जो अनुभव होते रहे हैं उन्हें वे अपने बच्चों को बताते रहे हैं उनके अनुभव लोगों में प्रचलित होते रहे। उन अनुभवों ने कालांतर में लोकोक्तियों और कहावतों का रूप धारण कर लिया जो विविध भाषा - भाषियों के बीच किसी न किसी कृषि पंडित के नाम प्रचलित है और किसानों की जिह्वा पर बने हुए हैं। हिंदी भाषा-भाषियों के बीच ये घाघ और भड्डरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके ये अनुभव आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों के परिपेक्ष्य में खरे उतरे हैं।

भारतीय कृषि का इतिहास अत्यंत ही रोचक है। विश्व के कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत का पहले भी अग्रणीय स्थान था और आज भी है। आज भारत विश्व का दूसरे क्रमांक का राष्ट्र बन गया है जो विश्व के कुल उत्पादन में एक बड़ा हिस्सेदार है फिर भी भारत की जनसंख्या जितनी तीव्रता से बढ़ रही है उतनी तीव्रता से उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए आज भी अन्न की समस्या अपना मुँह फाड़े खडी है। कृषि के इतिहास को अच्छि तरह से समझने हेतु इसे दो भागों में बाँटा जा सकता है।

१) कृषि का स्वतंत्रता पूर्व का इतिहास :-

इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में प्रवेश किया था तब उसका उद्देश्य अपनी विदेशी वस्तुओं का भारत में प्रचार-प्रसार करके व्यापार करना और अधिक-से-अधिक लाभ कमाना था। लेकिन लाभ कमाने तक ही उनकी इच्छाएँ सीमित नहीं रही देश की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात अब उनका लक्ष्य भारत के राजनैतिक अस्तित्व पर अपना कब्जा करना था।

इसलिए उन्होंने भारत के अधिक-से-अधिक व्यवसायों को अपने अधिकार में करके संपूर्ण आर्थिक सत्ता अपने हाथों में करने हेतु अधिकाधिक लाभ कमाने का उद्देश्य सामने रखकर व्यवसाय करने की रणनीति बनाई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से एक वाणिज्यिक संस्था न होकर राजकीय-वाणिज्यिक संस्था के रूप में परिणीत हो चुकी थी। उस समय भी भारत का प्रमुख व्यवसाय खेती ही थी। अंग्रेजों के आने के पूर्व व पश्चात की खेती की परिस्थितियाँ भी भिन्न-भिन्न थीं। उन्होंने जमीन अधिकार, लगान, व जमीन संबंधी अन्य कायदे कानूनों में अनेक परिवर्तन किये स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति को पूनः दो भागों में बँटा जाता है:

- १) अंग्रेजों के भारत में आने से पूर्व का कृषि का इतिहास
- २) अंग्रेजों के भारत में आने पश्चात की कृषि का इतिहास

१) अंग्रेजों के भारत में आने से पूर्व का इतिहास :-

बड़े-बड़े गाँवों की संकल्पना नहीं थी। स्थानीय स्वराज्य संस्थाएँ व भूआय प्रशासन द्वारा ही उसका नियोजन किया जाता था। पूर्व पूँजीवादी काल में भी संपूर्ण भूमि का मालिक एक ही व्यक्ति यह संकल्पना अस्तित्व में नहीं थी। सभी समुदायों को केवल भूमि का कुछ हिस्सा ही उपयोग के लिए दिया जाता था। प्रत्येक समुदाय वर्ष भर के अपने कुल उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा भूस्वामी को देते थे और शेष ऊपज से अपने वर्ष भर की आजीविका चलाते थे। गाँव के पाटिल या मुखिया ही 'मामलातदार' या मुख्य किसान के रूप में जाने जाते थे जो प्राप्त उत्पादन का १/६ या १/३ उस राज्य के नवाब को पहुँचाते थे। नवाब अपनी इच्छा अनुसार जितनी चाह उतनी भूमि उस पाटीलो को खेती के लिए दे देते थे व उसके साथ ही सिंचाई व जोताई का साधन सामग्री भी उन्हें नवाबों से मिलती थी। उसके पश्चात पाटील अपनी इच्छा अनुसार जिसे चाहे उसे उतनी जमीन जोताई हेतु देते थे और उनसे मनमाना लगान वसूल किया करते थे। लगान अर्थात् भूमि की कुल ऊपजा का वह हिस्सा जो व्यक्ति भूस्वामी के भूमि के उपयोग के बदले उसे देता है। इस प्रकार भूमि व उसके ऊपज संबंधी सभी समायोजना गाँव के मुखिया अर्थात् पाटील अर्थात् ग्राम पंचायत अपने पुराने ढर्रे पर किया करती थी।

२) अंग्रेजों के भारत में आने पश्चात की कृषि का इतिहास :-

ब्रिटिश सरकार ने भारत में लगान-पद्धति में बहुत सी तब्दीलियाँ कीं। स्थाई बन्दोबस्त में जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का असीम अधिकार दे दिया गया। कुछ प्रांतों में रैयतवारी पद्धति लागू की गई और कुछ में महलवारी पद्धति। जमींदारी प्रथा त्रि-स्तरीय पद्धति थी जिसमें सरकार रैयत से सीधे लगान वसूल करती थी। रैयतवारी पद्धति द्वि-स्तरीय पद्धति थी जिसमें सरकार रैयत से सीधे लगान वसूल करती थी। इन सभी प्रथाओं में शीघ्र ही मध्यस्थों की श्रेणियाँ विकसित हो गईं। बढ़ते हुए लगान के कारण किसान उधार लेने के लिए बाध्य हुए और साहूकारों के वर्ग का उदय हुआ। जब किसान लगान नहीं चुका पाते थे, उन्हें बेदखल कर दिया जाता था। बेदखल होने की बजाये उन्होंने साहूकारों से रुपये उधार लेकर लगान देना शुरू किया परन्तु साहूकारों ने भी उनको तंग किया। बहुत अधिक ब्याज उनसे वसूल किया। धोखे से ज्यादा रकम लिखा लेते थे। उनकी पैदावार को और उनके मवेशियों को जबरदस्ती ले जाते थे। सरपार पानून और कचहरियाँ भी साहूकारों के पक्ष में थीं। जमींदार, ताल्लुकेदार और साहूकार कई प्रकार के अवैध उपकर वसूल करके किसानों को तंग करते थे। ये उपकर अनेक प्रकार के थे, जैसे पथकर,

मेला खर्च, पर्व कर, जमींदार के परिवार में कोई विवाह होने पर कर, डाक खर्च, दाखिल खर्च, टोल खर्च इत्यादि-इत्यादि। लकड़ान या इन उपकारों के समय पर अदा न करने पर किसानों को घोर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। उनका जीवन और सम्पत्ति जमींदारों और उनके दलालों के रहम पर थी।

अंग्रेजों ने राजस्व-प्रणाली में जो परिवर्तन किए उनके कारण भू-स्वामी और साहूकारों के वर्गों में तेजी से वृद्धि हुई और वे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े शक्तिशाली हो गए। उनके अतिरिक्त बागों के अंग्रेज मालिकों ने चाय, रबड़, काफी तथा नील के बाग लगाए। किसानों को जबरदस्ती बेदखल करके बाग लगाए गये अथवा उन्हें मामूली कीमत पर अपनी जमीन बेचनी पड़ी। इन क्षेत्रों में किसान या तो दिहाड़ी पर काम करने वाले बनकर रह गए या फिर ठेके पर काम करने वाले श्रमिक जिनकी स्थिति बंधुआ मजदूरों जैसी थी। किसान इस दमन को चुपचाप न सह सके और कई स्थानों पर उन्होंने विद्रोह भी किए परन्तु उन्हें निर्दयतापूर्वक कुचल दिया गया।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में बार-बार अकाल पड़े और भूख से लाखों कृषक और अन्य कमजोर वर्ग के लोग मर गये। कहा जाता है कि लगभग २४ छोटे-बड़े अकाल पड़े। १८६७-७७, १८९७-९८ और १८९९-१९०० में भीषण अकालों से यह स्पष्ट हो गया कि, उत्पीड़क, भूमिकर नीति का कल था। सूखे और अकालों से ग्रामीण प्रदेशों में अशांति और व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ गयी और अंग्रेजों के अपने शासन काल में कृषि संबंधी अनेक आंदोलनों का सामना करना पड़ा जैसे :-

- १) संथाल विद्रोह (१८५५-६)
- २) १८५७ में स्वतंत्रता संग्राम
- ३) नील विद्रोह १८५६-६०
- ४) पूर्वी बंगाल के किसानों का आंदोलन (१८७२-७६)
- ५) मराठा कृषकों का विद्रोह १८७५
- ६) भोपला कृषकों का विद्रोह १८३६ और १८५६
- ७) असम में विद्रोह १८९३-८४
- ८) पंजाब के किसान १८७६-१९०७
- ९) दक्षिण भारत के किसानों का विद्रोह १९ वीं शताब्दी
- १०) चम्पारन का सत्याग्रह १९१७

ऐसे अनेकानेक संघर्षों के बाद भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली। किंतु आजादी के बाद का सफर भी भारत के लिए इतना आसान नहीं रहा।

कृषि का स्वतंत्रता पश्चात का इतिहास:-

भारत को १५ अगस्त १९४७ को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब भारत की आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से चरमराइ हुई थी। इस स्थिति का मुँह तोड़ जवाब देने का अब समय आ चुका था। भारतीय अर्थव्यवस्था की धूरी ही कृषिपर आधारित होने के कारण तात्कालिक प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने अनेक योजनाएँ शुरू कीं। जिसका धीरे-धीरे असर दिखाई देने लगा था। खेतीके क्षेत्र में जो अभूतपूर्व क्रांति देखने में आई वह वर्ष था १९६० का जिसे हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। १९६० में बाद कृषि क्षेत्र में हरित क्रांतिके साथ नया दौर आया। सन २००७ में भारतीय अर्थ व्यवस्था में कृषि संबंधित कार्यों (जैसे वानिकी) का सकल घरेलू उत्पाद(GDP) में हिस्सा १६.६% था। उस समय संपूर्ण कार्य काने वालों का ५२% कृषि में लगा हुआ था।

भारतीय कृषि में १९६० के दशक के मध्य तक पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जात था जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। उन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर आदि का प्रयोग करते थे। १९६० में बाद उच्च उपज बीज (HYB)का प्रयोग शुरू हुआ। इससे सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों और किटनाशकों का प्रयोग बड़ गया।

इस कृषि में सिंचाई की अधिक आवश्यकता पडने लगी। इसके साथ ही गेहूँ और चावल के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई जिस कारण इसे हरित क्रांति भी कहा गया। पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने कृषि के आधुनिक तरिकों का सबसे पहले प्रयोग किया। आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन किया है। अब इसके दुष्परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जलसतत निष्काषण से भूमिगत जलस्तर बहुत नीचे चला गया है।

सारणी - १
वर्षानुसार जुताई क्षेत्र

वर्ष	जुताई क्षेत्र (हेक्टर में)
१९५०	१२०
१९६०	१३०
१९७०	१४०
१९८०	१४०
१९९०	१४०
२०००	१४०
२०१०	१४०

सारणी - २
भारत में विभिन्न वर्षों में दाल - गेहूँ का उत्पादन (दसकरोड टन में)

वर्ष	जुताई क्षेत्र (हेक्टर में)
१९७०-७१	१२.२४
१९८०-८१	११-३६
१९९०-९१	१४-५५
२०२०-०१	११-७०

निष्कर्ष :-

२०१० एफ.ए.ओ. विश्व कृषि सांख्यिकी, के अनुसार भारत को कई ताजा फल और सब्जियां, दूध, प्रमुख मसाले आदि का सबसे बड़ा उत्पादक ठहराया गया है। रेशेदार फसले जैसे जूट, कई स्टेपल जैसे बाजरा और अरंडिके तेल के बीज आदि का भी उत्पादक है। भारत गेहूँ और चावल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत, दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कई चीजों में जैसे सूखे फल, वस्त्र, कृषि आधारित कच्चा माल, जडे और कंद फसले, दाल, मछलियाँ, अंडे, नारियल, मिर्च, और कई सब्जियाँ। २०१० में भारत को दुनिया का पाँचवा स्थान हासिल हुआ है जिसके मुताबिक उसने ८०% से अधिक कई

नकदी फसलों का उत्पादन किया जैसे कॉफी और कपास आदि। २०११ [रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया में पाँचवे स्थान पर रखा गया है। जिसके मुताबिक व सबसे तेज वृद्धि के रूप में पशुधन उत्पादन करता है। २००८ के एक रिपोर्ट ने दावा किया कि भारत की जनसंख्या चावल और गेहूँ का उत्पादन करने की क्षमता से अधिक तेजी से बढ़ रही है। अन्य सूत्रों से पता चलता है कि, भारत अपनी बढ़ती जनसंख्या का आसानी से उदर निर्वाह कर सकता है और साथ-ही-साथ चावल और गेहूँ का निर्यात भी कर सकता है। बस भारत को अपनी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना होगा जिससे उत्पादकता भी बढ़े जैसे अन्य देश ब्राजील और चीन ने किया है। भारत २०११ में लगभग २ लाख मीट्रिक टन गेहूँ और २०१ करोड़ मीट्रिक टन चावल का निर्यात अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश और दुनिया भर के अन्य देशों को किया है।

जलीय कृषि और पकड़ मत्स्यपालन भारत में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है।

१९०० से २०१० के बीच भारतीय मछली फसल हुई जबकि जलीय कृषि फसल तीगुनी बढ़ गई २००८ में भारत का सबसे बड़ा उत्पादन था। सुमुद्र और मीटे पानी की मत्स्य पालन के क्षेत्र में और दूसरा सबसे बड़ा जलीय मछली कृषि का निर्माता था। भारत ने दुनिया के सभी देशों को करीबन ६,००,००० मीट्रिक टन मछली उत्पादों का निर्यात किया।

भारत पिछले ६५ वर्षों में कृषि विभाग में कई सफलताएँ प्राप्त की है। ये लाभ मुख्य रूप से भारत को हरित क्रांति, पावर जनरेशन, बुनियादी सुविधाओं, ज्ञान में सुधार आदि से प्राप्त हुआ है। भारत में फसल पैदावार अभी भी सिर्फ ३०% से ६०% ही है। अभी भी भारत में कृषि प्रमुख उत्पादकता और कुल उत्पादन लाभ के लिये क्षमताएँ हैं। विकासशील देशों के सामने भारत अब भी पीछे है। इसके अतिरिक्त गरीबी, अवसरचर्चा और असंगठित खुदरा के कारण दुनिया में सबसे ज्यादा खाद्य घाटे के कुछ अनुभव किये हैं और असका नुकसान भी उसे भुगतना पड़ा है।

संदर्भ :-

- १) कृषि पराशर
- २) कृषि संहिता
- ३) पराशर तंत्र
- ४) वृषायुर्वेद (सुरपाल)
- ५) कृषिगीता (मलयालम मे, रचनाकार परशुराम)
- ६) नुरक दर कन्नी फलहत (फारसी में, दारा शिकोह)
- ७) कश्यपीयकृषि सूक्ति (कश्यप)
- ८) विश्ववल्लभ (चक्रपाणि मिश्र)
- ९) लोकोपकार (कन्नड मे रचनाकार - यावु-दाराया)
- १०) उपवनविनोद (सारंगधर)